संख्या- 153 /2022/ 1416 /चार-2022

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 03 अगस्त, 2022**

विषय:- आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत हर घर तिरंगा आयोजन को पूरे प्रदेश में भव्य रूप से मनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1132/सं0नि0-15(20)/2022-23टी0सी0 दिनांक 25 जुलाई, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत हर घर तिरंगा आयोजन को पूरे प्रदेश में भव्य रूप से मनाये जाने के संबंध में जिलाधिकारियों द्वारा कार्यक्रमों के आयोजन पर होने वाले व्यय हेतु रू0 375.00 लाख (रू0 तीन करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत की जाने वाली धनराशि आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत हर घर तिरंगा आयोजन को पूरे प्रदेश में भव्य रूप से मनाये जाने के अन्तर्गत संलग्न कार्ययोजना एवं विवरण के अनुसार कार्यक्रम कराये जायेंगे।

(2) आयोजनों हेतु जनपद स्तर पर ऐसे विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्थानों का सहयोग प्राप्त किया जायेगा, जहां पर ध्वनि/प्रकाश व्यवस्थायुक्त सभागार/प्रेक्षागृह उपलब्ध हों। व्यापक जनसहभागिता सुनिश्चित करते हुए बैकड्राप, होर्डिंग, स्टैण्डी, साज-सज्जा आदि की व्यवस्था नागरिक संगठनों के सहयोग से अथवा सी.एस.आर. संसाधनों से की जायेगी।

(3) कार्यक्रमों का निर्धारण प्रतीकात्मक रूप से किया गया है। जिलास्तरीय आयोजन समिति द्वारा उपरोक्त कार्यक्रमों का अपने स्तर से निर्धारण किया जा सकता है, जिनमें 'तिरंगा जल यात्रा', कठपुतली एवं जादू शो आदि का भी आयोजन किया जा सकता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) समस्त आयोजनों में प्रभारी मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगण के रूप में आमंत्रित करते हुए जनपद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं सैन्य बलों/केन्द्रीय पुलिस बलों/पुलिस के शहीदों के परिजनों को अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित भी किया जायेगा।

(5) कवि सम्मेलन/मुशायरा हेतु कवियों/शायरों का चयन जिलास्तरीय आयोजन समिति द्वारा किया जायेगा। उक्त हेतु एक राष्ट्रीय स्तर के कवि/शायर के साथ तीन से चार स्थानीय कवियों/शायरों को आमंत्रित किया जायेगा।

(6) संस्कृति विभाग द्वारा धनराशि विभिन्न जनपदों को जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के बैंक खाता अथवा जिलाधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अन्य बैंक खाता में उपलब्ध करायी जायेगी। अन्य व्यवस्थायें जिलाधिकारीगण द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि अथवा अन्य सी.एस.आर. संसाधनों के माध्यम से वहन की जायेगी।

(7) प्रदेश के 75 जनपदों मे कराये जाने वाले कार्यक्रमों हेतु प्रति जनपद रू0 05.00 लाख के हिसाब से रू0 375.00 लाख का व्यय अनुमानित है।

(8) कार्यक्रम के उपरान्त संबंधित जिला अधिकारी द्वारा सभी वित्तीय नियमों का पालन करते हुए व्यय किया जायेगा।

(9) कार्यक्रम के उपरान्त व्यय विवरण इस प्रमाण पत्र के साथ एक सप्ताह के अन्दर निदेशक, संस्कृति निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा कि समस्त व्यय वित्तीय नियमों के अन्तर्गत ही किये गये हैं।

(10) जिला अधिकारी द्वारा प्राप्त धनराशि के सापेक्ष बचत की धनारशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय को तीन दिन के अन्दर वापस किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(13) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश प्रशासकीय विभाग द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(14) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(15) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

2- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या- 92- आयोजनेत्तर पक्ष के लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-800- अन्य व्यय-19-चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव-42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,
मुकेश कुमार मेश्राम
प्रमुख सचिव

संख्या - 153 /2022 / 1416 (1)/चार-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- संबंधित जिलाधिकारी।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कुमार
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 'आजादी का अमृत महोत्सव' पूरे प्रदेश में मनाये जाने एवं 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम हेतु प्रदेश में कराये जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा

दिनांक	कार्यक्रम		
	प्रातः	दिन में	सांय/रात्रि काल
11.08.2022	• समस्त सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों में झण्डा गीत का सस्वर गायन। • नागरिक संगठनों- उद्योग व्यापार मंडल, नागरिक सुरक्षा संगठन आदि के स्वयंसेवकों एवं एन.सी.सी./एन.एस.एस. की प्रभातफेरी/ तिरंगा यात्रा।	• विद्यालयों में स्लोगन लेखन, चित्रकला प्रतियोगिता। • विद्यालयों में आजादी के नायकों पर आधारित एकल अभिनय प्रतियोगिता। • जनपद के स्वतंत्रता संग्राम स्थलों/शहीद स्मारकों पर स्वच्छता अभियान।	• शहीद स्मारकों/स्थलों पर पुलिस/पी.ए.सी. बैण्ड द्वारा राष्ट्रभक्ति के गीतों का वादन। • देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम।
12.08.2022	• समस्त सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों में झण्डा गीत का सस्वर गायन। • 75-75 पुलिस/पी.ए.सी./होमगार्ड कर्मियों का समस्त जनपदों में मार्च-पास्ट (तिरंगा ध्वज के साथ)	• समस्त कृषि विज्ञान केन्द्रों में कृषक सम्मेलन, जिनमें 75 प्रगतिशील कृषकों को सम्मान पत्र, पौधे एवं तिरंगा भेट किया जायेगा।	• शहीद स्मारकों/स्थलों पर पुलिस/पी.ए.सी. बैण्ड द्वारा राष्ट्रभक्ति के गीतों का वादन। • देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम।
13.08.2022	• छात्र, छात्राओं का स्कूल यूनिफार्म में झण्डा गीत गाते हुए प्रभातफेरी।	• समस्त आंगनवाणी केन्द्रों में बच्चों द्वारा	• शहीद स्मारकों/स्थलों पर पुलिस/पी.ए.सी.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	• प्रत्येक विकास-खण्ड में 75-75 पी.आर.डी. जवानों द्वारा अपने गणवेश में तिरंगा साइकिल यात्रा।	सस्वर राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान। • बच्चों हेतु विशेष भोजन की व्यवस्था। • विद्यालयों में राष्ट्रभक्ति से संबंधित फिल्मों का प्रदर्शन।	बैण्ड द्वारा राष्ट्रभक्ति के गीतों का वादन। • सरकारी विश्वविद्यालयों/सरकारी एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम-आजादी के तराने।
14.08.2022	• छात्र, छात्राओं का राष्ट्र नायकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं शहीदों की वेशभूषा में प्रभातफेरी। • समस्त जनपदों में युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दल के सदस्यों के द्वारा अमृत मिनी मैराथन।	• प्रत्येक मण्डी समिति में 75-75 पल्लेदारों को व्यसायिक संगठनों के माध्यम से सम्मानित करना एवं मिष्ठान वितरण। • शिक्षण संस्थानों में स्वतंत्रता के नायक विषयक चित्रकला प्रतियोगिता एवं स्वतंत्रता की यात्रा विषयक रंगोली प्रतियोगिता।	• शहीद स्मारकों/स्थलों पर पुलिस/पी.ए.सी. बैण्ड द्वारा राष्ट्रभक्ति के गीतों का वादन। • निजी विश्वविद्यालयों/ गैर सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम-आजादी के तराने।
15.08.2022	• विद्यार्थियों एवं खिलाड़ियों की अपने-अपने खेल से संबंधित वेशभूषा में तिरंगा प्रभातफेरी।	• शिक्षण संस्थानों में मेरा जनपद मेरी धरोहर विषयक फोटोग्राफी प्रतियोगिता। • समस्त ग्राम	• शहीद स्मारकों/स्थलों पर पुलिस/पी.ए.सी. बैण्ड द्वारा राष्ट्रभक्ति के गीतों का वादन। • **एक शाम**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		पंचायतों में 75-75 फलदार पौधों का रोपड़।	**आजादी के नाम (सांस्कृतिक कार्यक्रम)।**
16.08.2022	• ब्रासबैण्ड वादकों की राष्ट्रगीतों की धुनों का वादन करते हुए प्रभातफेरी (नागरिक संगठनों के सहयोग से)।	• अमृत सरोवरों पर संगोष्ठियां।	• शहीद स्मारकों/स्थलों पर पुलिस/पी.ए.सी. बैण्ड द्वारा राष्ट्रभक्ति के गीतों का वादन। • विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों का बाल एवं युवा कवि सम्मेलन।
17.08.2022	• समाज के विभिन्न व्यवसायों यथा- डॉक्टर, नर्स, व्यवसायिक, कृषक, आशा बहुएं, अधिवक्ता, शिक्षक, स्वच्छाग्रही आदि की अपने-अपने व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करने वाली वेशभूषा में 'हम सब एक हैं' प्रभातफेरी।	• स्वतंत्रता आन्दोलन से संबंधित पुस्तकों का विमोचन/परिचर्चा। • 5 जनपद के ज्ञात-अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों/घटनाओं पर परिचर्चा।	• शहीद स्मारकों/स्थलों पर पुलिस/पी.ए.सी. बैण्ड द्वारा राष्ट्रभक्ति के गीतों का वादन। • राष्ट्रभक्ति पर आधारित कवि सम्मेलन/मुशायरा। • आंचलिक बोलियों- अवधी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली आदि का कवि सम्मेलन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

'आजादी का अमृत महोत्सव' एवं 'हर घर तिरंगा' अभियान हेतु जिलाधिकारियों को उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि का विवरण

जनपद	धनराशि (करोड़ रू0 में)
प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुरनगर, झाँसी, आगरा, बरेली, शाहजहाँपुर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, फतेहपुर, प्रतापगढ, कौशाम्बी, जौनपुर, गाजीपुर, चन्दौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, संतरविदासनगर, (भदोही), आजमगढ, बलिया, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, गोण्डा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, हरदोई, उन्नाव, सीतापुर, लखीमपुरखीरी, कानपुरदेहात, फर्रूखाबाद, इटावा, औरैया, कन्नौज, बांदा, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, जालौन, ललितपुर, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ, हाथरस, एटा, काशीरामनगर (कासगंज), बदायूँ, पीलीभीत, मुरादाबाद, सम्भल, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, हापुड़, बुलन्दशहर, बागपद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली।	375.00
योग (रूपये तीन करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)	

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।